परिशिष्ट-1

Rajsthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No. -0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/VII वि.स./11 दिनांक

.....

वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय
कोटा।

विषय : वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 28 जनवरी 2012 का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 28 जनवरी 2012 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गई थी। उक्त बैठक का कार्यवाही विवरण संलग्न कर भिजवाया जा रहा है।

भवदीय,

Sd-

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

क्रमांक : एफ/(3)/लेखा/VII वि.स./12/10267-29 दिनांक 6.2.12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निदेशक (विश्वविद्यालय अभियांत्रिकी महाविद्यालय) आर.टी.यू., कोटा।
4. लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी, आर.टी.यू. कोटा।
5. निजी सहायक माननीय कुलपति महोदय
6. कुलसचिव, आर.टी.यू. कोटा को प्रबन्ध मण्डल की बैठक में प्रस्तुत करने हेतु।

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय,कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033

सप्तम वित्त समिति की बैठक के निर्णय

वित्त समिति की सप्तम बैठक दिनांक 28.01.2012 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय में प्रो. आर. पी. यादव, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई।

वि.स.क्र. 7.1 : **वित्त समिति की षष्टम बैठक का कार्यवाही विवरण :–**

षष्टम वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक F/(3)Accounts/VFC/10/4807-17 दिनांक 17.08.2011 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 16 से 39 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर पुष्टि की गयी।

वि.स.क्र. 7.2 : **पंचम वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2011 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।**

पंचम वित्त समिति की बैठक दिनांक 07.03.2011 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड की बैठक दिनांक 15.10.2011 के आइटम नं. 11.5 से होने के उपरांत पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा पालना का अवलोकन कर पुष्टि की गयी।

वि.स.क्र. 7.3 : **षष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.08.2011 में लिये गये निर्णयों का पालना प्रतिवेदन।**

षष्टम वित्त समिति की बैठक दिनांक 10.08.2011 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध बोर्ड से दिनांक 15.10.2011 के आइटम नं. 11.5 से होने के उपरांत पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।

पालना प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या 6.7, 6.13 व टेबल एजेण्डा क्रमांक 6.3 के लिए पृथक से एजेण्डा तैयार कर वित्त समिति की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये जिसे टेबल एजेण्डा के बिन्दु संख्या 7.5, 7.6, 7.7 से प्रस्तुत किया गया तथा शेष बिन्दुओं की पालना का अवलोकन कर सन्तोष व्यक्त किया गया।

वि.स.क्र. 7.4 : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2012–13 का बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2011–12 के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

पंचम वित्त समिति की बैठक में वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित आय/व्यय के अनुमानों के विरूद्ध वर्ष 2011–12 के संशोधित अनुमानों एवं वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित अनुमानों के सारांश का योग निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया जिसके विस्तृत विवरण परिशिष्ट 4 पृष्ठ संख्या 64 से 77 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

Rs in Lacs

Sr. No.	Particulars	Actual 2010-11	Sanctioned Estimate 2011-12	Actual upto December 2011	Revised Estimate 2011-12	Budget Estimate 2012-13
1	Income	5042.52	4397.90	3115.21	4715.45	4919.73
2	Expenditure	2694.84	3797.30	2585.83	4229.30	4867.95

समिति द्वारा अवलोकन कर संशोधित अनुदान वर्ष 2011–12 एंव बजट अनुमान वर्ष 2012–13का अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 7.5 : **आयोजना भिन्न बजट वर्ष 2011–12 में राज्य सरकार से स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।**

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में बजट निर्णायक समिति की बैठक के निर्णयानुसार आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद में राशि रूपये 141.50 लाख स्वीकृत की गयी थी। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2011–12 का कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 5 पृष्ठ संख्या 78 से 81 पर उपलब्ध है। स्वीकृत राशि में से राज्य सरकार से अब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है जिसके लिए राज्य सरकार को मांग पत्र भिजवाया जा चुका है। राज्य सरकार से राशि प्राप्त न होने की स्थिति में संवेतन मद में होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से समायोजित किये की स्वीकृति प्रस्तावित की गई।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 7.6 : आयोजना बजट वर्ष 2011–12 में स्वीकृत राशि प्राप्त नहीं होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2011–12 में 142.00 लाख रूपये आयोजना मद में स्वीकृत किये गये थे। बजट निर्णायक समिति वर्ष 2011–12 का कार्यवाही विवरण पृष्ठ संख्या 82 व 83 पर उपलब्ध है। अब तक राज्य सरकार द्वारा आयोजना मद में रू. 35.50 लाख प्राप्त हो चुके है तथा राशि प्राप्त करने हेतु राज्य सरकार को मांग पत्र भिजवाया जा चुका है। आयोजना मद की बजट निर्णायक समिति की बैठक दिनांक 20.01.2012 में आयोजना मद में संशोधित प्रावधान 147.00 लाख निर्धारित किया गया है। अवशेष राशि प्राप्त न होने की अवस्था में किये गये व्यय को निजी आय से समायोजित किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 7.7 : विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को चाय/अल्पाहार की दरों के निर्धारण के संबंध में।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में वर्तमान में विश्वविद्यालय कार्य से बाहर से आने वाले आगन्तुकों हेतु चाय/अल्पाहार की दरों का निर्धारण नहीं होने/अधिकतम सीमा नियत नहीं होने के परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं माननीय कुलपति कक्ष में होने वाले अल्पाहार/चाय के व्यय का नियन्त्रण/संधारण किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

वित्त विभाग राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.9(1)वित्त–व्यय/2/2007 दिनांक 25.10.2007(प्रति संलग्न) पृ.सं. 84 से राजकीय बैठकों में अल्पाहार की दरों में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार उपशासन सचिव एवं समकक्ष अधिकारीगण के कक्षों में आगन्तुकों के स्वागत सत्कार पर 150 कप चाय प्रतिमाह की लागत की सीमा में व्यय किये जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त बैठकों/सम्मेलनों में अल्पाहार की दर 9/– रू. प्रति व्यक्ति (न्यूनतम 10 व्यक्ति) निर्धारित है।

अतः विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयाध्यक्षों एवं माननीय कुलपति कक्ष में होने वाली बैठकों एवं आगन्तुकों को सत्कार हेतु चाय/अल्पाहार की दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

1	माननीय कुलपति महोदय कक्ष में बैठकों एवं आगन्तुकों के स्वागत/सत्कार पर चाय/अल्पाहार की प्रस्तावित दरें	असीमित (वास्तविक व्यय की सीमा तक)
2	प्रतिकुलपति, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियन्त्रक, निदेशक अकादमिक, निदेशक (यू.सी.ई.) के कक्ष में होने वाली बैठकों एवं आगन्तुकों के स्वागत/सत्कार पर चाय/अल्पाहर की प्रस्तावित दरें	(अ) बैठकों हेतु 20/- रू. प्रति सदस्य (ब) आगन्तुकों के स्वागत/सत्कार हेतु 1000/- रू. प्रतिमाह की अधिकतम सीमा में

उक्तानुसार चाय एवं अल्पाहर की दरें अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की गयी।

समिति द्वारा आवश्यक विचार विमर्श उपरांत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

वि.स.क्र. 7.8 **श्री प्रेम प्रकाश गुप्ता, वरिष्ठ लिपिक एवं श्री एस.के. लढ्ढा स्टेनो, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के मेडिकल पुर्नभरण बिलों के निस्तारण के संबंध में।**

माननीय कुलपति महोदय के निर्देशानुसार उक्त कार्मिकों के लम्बे अरसे से लम्बित चिकित्सा संबंधी बिलों के निस्तारण/भुगतान के क्रम में निम्नांकित समिति गठित की गई थी :–

1	श्री ओ.पी. छंगानी	प्रति कुलपति
2	श्री अम्बरीश मेहता	कुलसचिव
3	श्री एस.एन. शर्मा	वित्त अधिकारी

समिति द्वारा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध रिकॉर्ड/दस्तावेजों/तथ्यों का परीक्षण किया जाकर संबंधित कार्मिक से वांछित अंडरटेकिंग के आधार पर वित्त विभाग के आदेश दिनांक 06.02.2009 के अंतर्गत विहित प्रावधानों के अनुसार श्री पी.पी. गुप्ता एवं श्री एस.के. लढ्ढा द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा दावों के पुर्नभरण/निस्तारण की अभिशंषा की गई (परिशिष्ट 7 पृष्ठ संख्या 85 से 89)।

अतः समिति की अभिशंषानुसार श्री पी.पी. गुप्ता एवं श्री एस.के.लढ्ढा द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण की स्वीकृति अपेक्षित है।

समिति द्वारा अवलोकन उपरांत विश्वविद्यालयी समिति की अभिशंषानुसार श्री पी.पी. गुप्ता एंव श्री एस.के. लढ्ढा के चिकित्सा दावों के पुनर्भरण करने हेतु सहमति व्यक्त की गयी।

वि.स.क्र. 7.9 **राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में माननीय न्यायालय के आदेश/निर्णय के फलस्वरूप कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों के नियमन के संबंध में।**

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा में माननीय श्रम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में निम्नांकित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी विभिन्न अनुभागों में कार्यरत है :–

क्र.स.	नाम कर्मचारी/पिता का नाम	श्रमिकों को सेवा में रखने की दिनांक	वाद संख्या एवं निर्णय दिनांक
1	श्री सूरजमल शर्मा पुत्र श्री नन्द लाल शर्मा	04.02.1985	146/1988 दिनांक 08.08.1990
2	श्री जगदीश प्रसाद पुत्र श्री गणेश राम	25.05.1988	230/1990 दिनांक 05.04.1995
3	श्री नन्द किशोर पुत्र श्री भैरूलाल	01.02.1991	224/1995 दिनांक 29.06.2002
4	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री हरिप्रसाद	20.07.1990	378/1999 दिनांक 07.10.1993
5	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह	26.11.1990	223/1995 दिनांक 29.06.2002

उपर्युक्त व्यक्तियों को तत्कालीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के रूप में रखा गया था जिनको तत्कालीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा द्वारा सेवा से हटाये जाने के परिणामस्वरूप उक्त सभी श्रमिकों द्वारा माननीय श्रम न्यायालय, कोटा में याचिका दायर कर सेवा में यथावत बनाये रखने हेतु अभ्यर्थना की गई। माननीय श्रम न्यायालय द्वारा प्रकरणों में औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 10(1) ग के अन्तर्गत पारित निर्णय के अनुसार उक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को सेवा की निरन्तरता सहित सेवा में पुर्नस्थापित होने का अधिकारी घोषित किया गया। माननीय श्रम न्यायालय के निर्णय को तत्कालीन महाविद्यालय प्रशासन द्वारा विधिक राय के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय में अपील/याचिका दायर की जाकर चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा महाविद्यालय की ओर से दायर की गई याचिकाओं को निरस्त कर दिया गया एवं माननीय श्रम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को बहाल रखा गया। ऐसी अवस्था में उक्त पांचों दैनिक वेतन भोगी श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत देय निर्धारित पारिश्रमिक पर वर्तमान में (महाविद्यालय के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में आमेलन होने पर) राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों में कार्यरत है। उक्त श्रमिकों को संस्थान में कार्यरत रहते हुए लगभग 20 से 25 वर्ष से अधिक अवधि का समय हो चुका है।

उल्लेखनीय है कि :–

(i) विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारी एवं प्रयोगशाला अनुचर के क्रमशः 4 एवं 1 पद रिक्त है।

(ii) विश्वविद्यालय की स्थापना के पश्चात विश्वविद्यालय में सहायक कर्मचारियों की कोई भर्ती नहीं की गई है।

(iii) विश्वविद्यालय के कार्य में निरन्तर बढोतरी हो रही है। जिसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालय में उपलब्ध सहायक कर्मचारी/प्रयोगशाला अनुचर के उक्त रिक्त पदों पर पदस्थापन किया जाना नितान्त आवश्यक है।

प्रकरण के संबंध में समुचित कार्यवाही/निस्तारण के क्रम में विश्वविद्यालय के पेनल विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार भार्गव से राय ली गयी जिसके अनुसार विश्वविद्यालय में उपलब्ध सहायक कर्मचारी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरा जा सकता है जिसमें उक्त कार्मिकों को प्राथमिकता दी जा सकती है बशर्ते आलौच्य कार्मिक नियुक्ति की योग्यता/अर्हता रखते हों। विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में यह भी राय व्यक्त की गयी है कि माननीय कुलपति द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी गठित की जाकर दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की योग्यता/अर्हता का परीक्षण कराया जाना आवश्यक है। साथ ही उक्त श्रमिकों से भी इस आशय का अंडरटेकिंग लिया जाना अपेक्षित है कि वे पूर्व सेवाओं/वेतन आदि का कोई दावा नहीं करेंगे। तदुपरान्त समुचित अर्हता/योग्यता परीक्षण में उपयुक्त पाये जाने पर सक्षम स्वीकृति उपरांत भर्ती/समायोजन/नियमन की कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये (पत्र की प्रति संलग्न, **परिशिष्ट 8 पृ. सं. 90 से 95)**

अतः माननीय श्रम न्यायालय/उच्च न्यायालय के निर्णय एवं वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार विश्वविद्यालय में नियुक्त दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के नियमन/प्रकरण के निस्तारण हेतु स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा विश्वविद्यालय द्वारा सहायक कर्मचारी/प्रयोगशाला अनुचर की भावी नियुक्ति के समय माननीय न्यायालय के निर्णय/अधिवक्ता की राय के परिपेक्ष्य में विश्वविद्यालय के दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों की नियमानुसार भर्ती/समायोजन/नियमन की कार्यवाही सक्षम अधिकारी (राज्य सरकार) के अनुमोदन उपरांत किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र. 7.10 : **विश्वविद्यालय कार्मिकों के लिए सेवानिवृति/मृत्यु सह सेवानिवृत्ति उपादान कोष के निर्माण के संबंध में।**

वर्तमान में विश्वविद्यालय में लगभग 280 कार्मिक कार्यरत है। विश्वविद्यालय द्वारा इन कार्मिकों को अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति/कार्मिक की मृत्यु की दशा में राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 55 (I) के अनुसार उपादान राशि का भुगतान किया जाता है जो प्रत्येक सेवानिवत्ति पर प्रत्येक छः माह की योग्य सेवा पर 1/4 माह का वेतन तथा मृत्यु की दशा में 15 दिवस के वेतन के हिसाब से देय होती है। वर्तमान में उपादान के भुगतान हेतु विश्वविद्यालय में कोई कोष उपलब्ध नहीं है तथा इसका भुगतान विश्वविद्यालय की निजि आय में संवेतन मद से किया जाता है।

अतः किसी अनुभवी/विशेषज्ञ सनदी लेखाकार की राय ली जाकर विश्वविद्यालय में कार्मिकों के उपादान भुगतान (Gratuity Payment) हेतु प्रतिवर्ष बजट प्रावधान किया जाकर कोष का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है (**परिशिष्ट 9 पृ. सं. 96 से 99**)।

समिति द्वारा उपादान कोष के निर्माण हेतु कोष एंव कोष में विनियोजित राशि से अर्जित होने वाली आय पर आयकर के संबंध में अनुभवी सनदी लेखाकार से लिखित राय प्राप्त कर उपादान कोष सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी।

टेबल एजेण्डा

वि. स. टे. एजे. क्र. 7.1 : **सहायक लेखाधिकारी के एक पद को प्रतिनियुक्ति के स्थान पर विभागीय स्तर पर भरने के संबंध में।**

विश्वविद्यालय में सहायक लेखाधिकारी के तीन पद स्वीकृत है जो राज्य सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति से पदस्थापन/भरने के निर्देश है। राज्य सरकार के निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग में सहायक लेखाधिकारियों की अनुपलब्धता के चलते उक्त तीनों पद वर्तमान में लम्बे समय से रिक्त चल रहे है, साथ ही विश्वविद्यालय के लेखाकार/क. लेखाकारों द्वारा भी पदोन्नति के अवसरों की मांग निरन्तर की जा रही है लेकिन विश्वविद्यालय में उक्त तीनों पद प्रतिनियुक्ति के होने के कारण विश्वविद्यालय के लेखा कार्मिकों को पदोन्नति दिया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। विश्वविद्यालय के लेखा कार्मिकों को 9, 18, 27 का लाभ पूर्व में ही दिया जा चुका है इसलिए विभागीय पदौन्नति के फलस्वरूप विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार भी नहीं पडेगा।

अतः प्रकरण गत परिस्थितियों के मध्य नजर रखते हुए विश्वविद्यालय में स्वीकृत तीनों पद (सहायक लेखाधिकारी) में से एक पद विभागीय पदोन्नति से भरे जाने की स्वीकृति अपेक्षित है।

समिति द्वारा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए प्रबंध मण्डल के अनुमोदन उपरांत राज्य सरकार से उक्त प्रस्ताव के परिपेक्ष्य में आवश्यक संशोधन करवाने हेतु निर्देशित किया गया।

<u>वि. स. टे. एजे. क्र. 7.2</u> : विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा एन.ओ.सी. चाहने बाबत।

विभिन्न महाविद्यालयों द्वारा निम्नांकित कारणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगे जाते है :–

(a) For closure of courses/programmes
(b) For Conversion of only Women Institute to Co-Ed Institute
(c) For change of name of the Institute
(d) For change of site/location of the institute

निदेशक अकादमिक द्वारा कार्यालय टिप्पणी दिनांक 17.12.2012 से इस बाबत एक बार फीस लेते हुए प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये गये है जिसके अनुसार आइटम संख्या (a) के लिए प्रत्येक ब्रांच/प्रोग्राम के लिए रू. 50,000/– तथा शेष सभी आइटमों के लिए रू. 50,000/– प्रस्तावित की है एवं साथ में AICTE द्वारा जारी 2012–13 की हेण्ड बुक की छायाप्रति संलग्न की गई। निदेशक अकादमिक के प्रस्ताव माननीय कुलपति द्वारा अनुमोदित है जो समिति के सदस्यों के अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा अवलोकन कर प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गई।

<u>वि. स. टे. एजे. क्र. 7.3</u> : सम्बद्ध महाविद्यालयों से विकास शुल्क की राशि जमा कराने हेतु।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा से सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों में प्रवेशित छात्रों से निम्नानुसार विकास शुल्क की राशि जमा कराई जाती है :–

1) बी.टेक./बी. आर्क. — राशि रू. 1000/- प्रथम वर्ष एवं रू. 500/- पश्चातवर्ती प्रतिवर्ष प्रति छात्र की दर से

2) एम.बी.ए./एम.सी.ए./बी.एच.एम.सी.टी. — राशि रू. 500/- प्रति वर्ष प्रति छात्र की दर से

क्योंकि विकास शुल्क की राशि सम्बद्धता शुल्क के साथ जमा कराये जाने की व्यवस्था लागू नहीं होने के परिणामस्वरूप अनेक महाविद्यालयों के विरूद्ध अत्यधिक विकास शुल्क की राशि बकाया चल रही है जिसकी समीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कर विकास शुल्क की राशि नियमित रूप से (सम्बद्धता शुल्क जमा कराने की अन्तिम तिथि तक) जमा कराया जाना अपेक्षित है। बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन में वित्त अधिकारी सदस्य नहीं होने के कारण महाविद्यालयों को सम्बद्धता की स्वीकृति जारी करते समय भी बकाया विकास शुल्क की समीक्षा किया जाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः बोर्ड ऑफ इन्सपेक्शन में वित्त अधिकारी/वित्त अधिकारी के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जाना एवं सम्बद्धता शुल्क के साथ ही विकास शुल्क की राशि अनिवार्यतः जमा कराया जाना प्रस्तावित किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि. स. टे. एजे. क्र. 7.4 : To consider the grant of House Loan/Vehicle Loan to the teachers and staff of the University at par with the norms prevailing at the University of Rajasthan, Jaipur

The matter was discussed by the committee & keeping in view the prevailing system for loans & advances for the employees of State Govt., the proposal was summarily turned down.

वि. स. टे. एजे. क्र. 7.5 : वर्दी की संशोधित दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में।

विश्वविद्यालय के कर्मचारी राजस्थान विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को देय वर्दी की दरों के अनुरूप बढ़ी हुई दर से वर्दी का नकद भुगतान करने की मांग करते आ रहे हैं। तत्सम्बन्धी प्रस्ताव वित समिति की छठी बैठक दिनांक 10 अगस्त 2011 की बैठक में रखा गया था।

वित्त समिति द्वारा निर्देश दिये गये थे कि राजस्थान विश्वविद्यालय एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में लागू वर्तमान में देय दरों का तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया जावे। तत्सम्बन्धी विवरण वर्तमान में दी जा रही दरों के अनुसार पृष्ठ संख्या 55 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

समिति द्वारा तुलनात्मक विवरण पत्र का अवलोकन उपरांत राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा वर्दी हेतु किये जाने वाले नकद भुगतान के परिप्रेक्ष्य में आगामी वित्तीय वर्ष 2012–13 से प्रयोगशाला परिचरों/सहायकों को रू. 1118/– व अन्य कार्मिकों को रू. 1176/– प्रतिकार्मिक/प्रतिवर्ष की दर से वर्दी हेतु नकद भुगतान (बोर्ड की स्वीकृति उपरांत) किये जाने की सहमति व्यक्त की गई।

वि. स. टे. एजे. क्र. 7.6 संस्थान जो शून्य सत्र घोषित कर सम्बद्धता शुल्क समायोजन/छूट हेतु आवेदन के संबंध में।

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 10 अगस्त 2011 को क्रमांक 6.13 में यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिसमें संस्थानों के तीन प्रकार से वर्गीकरण किया गया है। वित्त समिति द्वारा प्रस्तुत उक्त वर्गीकरण के संबंध में स्पष्ट प्रस्ताव चाहे गए थे सप्तम वित्त समिति की बैठक में पृष्ठ संख्या 59 पर निदेशक अकादमिक द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर अनुमोदन किया गया।

वि. स. टे. एजे. क्र. 7.7 : **परीक्षा शुल्क की दरों के संबंध में।**

गत वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 6.3 के अन्तर्गत परीक्षा विभाग से सम्बन्धित विभिन्न शुल्कों तथा मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। प्रबन्ध गण्डल की ग्यारहवीं बैठक के बि.सं. 11.5 में मानदेय एवं पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया तथा परीक्षा फीस में वृद्धि हेतु वांछित समीक्षा उपरान्त वित समिति की आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। तदनुसार परीक्षा नियंत्रक से प्राप्त वांछित परीक्षा/विविध शुल्क वद्वि हेतु संशोधित प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किये गये।

समिति द्वारा परीक्षा नियन्त्रक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का अवलोकन कर वर्तमान में लागू परीक्षा शुल्क व विविध शुल्क पर 20 प्रतिशत की वृद्धि (आगामी 50 रू. में Round off) करने का निर्णय लिया गया (वांछित सारणी संलग्न है)।

कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति

वित्त अधिकारी एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति